

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेषक,

सहायक निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**बंदोबस्त पदाधिकारी,**

बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया /  
सीतामढ़ी / सुपौल / प० चम्पारण / शिवहर /  
बांका / शेखपुरा।

**बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता**

सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ / मुंगेर / नालंदा / खगड़िया /  
अरवल / मधेपुरा / जमुई।

**भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी**

किशनगंज।

पटना, दिनांक :-

विषय :- दिनांक-18.12.2023 (सोमवार) को होनेवाली विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के आलोक में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 416 दिनांक 02.05.2023 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक- 18.12.2023 को पूर्वा० 11:00 बजे से भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के सभाकक्ष में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की जाएगी।

समीक्षात्मक बैठक का एजेंडावार कार्यक्रम निम्नवत् है:-

क्र०	समय	विषय
01.	11.00 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक।	<ul style="list-style-type: none"> <li>साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में 2500 खेसरो तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्रामों को छोड़कर शेष राजस्व ग्रामों में खानापुरी, प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, सुनवाई एवं लम्बित एल०पी०एम० की समीक्षा।</li> <li>2500 से 5000 खेसरो वाले राजस्व ग्राम के प्रगति की समीक्षा।</li> <li>अक्टूबर, 2023 द्वितीय सप्ताह से दिसंबर, 2023 द्वितीय सप्ताह तक की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा।</li> <li>प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन/अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व के सुनवाई दावा आपत्ति/आदेशो सम्बन्धी अभिलेखों को सॉफ्टवेयर में संधारित किए जाने सम्बन्धी समीक्षा।</li> <li>मैप मॉड्यूल को अद्यतन किये जाने की समीक्षा।</li> <li>वैसे विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो तीन माह से अधिक अवधि से खानापुरी, प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, सुनवाई और एल०पी०एम० वितरण का कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा।</li> <li>प्रपत्र-20 के उपरांत सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को अंचल में उपलब्ध कराए जाने एवं रैयत के मध्य वितरित किए जाने संबंधी समीक्षा।</li> </ul>
02.	01:30 बजे अपराह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक।	भोजनावकाश

03.	02:30 बजे अपराह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक।	हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा।
04.	03:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक।	बन्दोबस्त कार्यालयों की स्थापना एवं कार्यालय से संबंधित विषयों की समीक्षा।
05.	04:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक।	अन्यान्य

अतः अनुरोध है कि कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुतीकरण एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति संबंधी प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

Signed by Binod Kumar

Pankaj

Date: 15-12-2023 10:34:39

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,

बिहार, पटना।

**प्रतिलिपि:-**

1. समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त को अपने स्तर से राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।
2. राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि बैठक में किसी एक प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।
3. सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प०चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को उक्त बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री राकेश कुमार, सहायक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को बैठक चाय, पानी एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
6. एन०कुमार एसोसिएट, RSTI पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC के प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
10. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।